डिस्कलेमर

आदेश संख्या 10/2026-27 के पृष्ठ संख्या 1 से 4 और 8 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/भोगापुरम/सीपी-I/2027-32

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

****

आदेश संख्या 10/2026-27

ऐरा कार्यालय
तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 27.07.2026

विषय: जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) द्वारा भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (बीआईए) पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से तदर्थ टैरिफ लागू होने के मामले में।

यह आदेश, ऊपर उल्लिखित विषय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 12.06.2026 के आदेश संख्या 09/2026-27 के स्थान पर जारी किया गया संशोधित आदेश है।

2. प्राधिकरण ने दिनांक 12.06.2026 के आदेश संख्या 09/2026-27 के माध्यम से जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित होने तक, वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने और वसूलने की अनुमति दी। यह आदेश जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) द्वारा 9 जुलाई, 2025 को भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रस्तुत किए गए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के जवाब में जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में 30 जून, 2026 की संभावित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31 मार्च, 2027 तक की 9 माह की पूर्व नियंत्रण अवधि और 2027 से 2032 तक पांच वर्ष की प्रथम नियंत्रण अवधि शामिल थी।

2.1 ऊपर बताए गए तदर्थ आदेश के जारी होने के बाद, हवाईअड्डा प्रचालक ने दिनांक 15.06.2026 के अपने आवेदन के माध्यम से प्राधिकरण से उक्त तदर्थ टैरिफ आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जो जुलाई 2025 में प्रस्तुत किए गए एमवाईटीपी में दिए गए यातायात अनुमानों पर आधारित था। चूंकि इस बीच भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 2026-27 के दौरान यातायात की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इस कारण से एमवाईटीपी में बताए गए वित्त वर्ष 2026-27 के अनुमानित यातायात में काफ़ी कमी आई है, जिसका काफी प्रभाव सीओडी से लागू की जाने वाली तदर्थ टैरिफ पर भी पड़ा है।

2.2 हवाईअड्डा प्रचालक ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया है कि सीओडी से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए अनुमानित यातायात पहले के अनुमानों की तुलना में काफी कम रहने की उम्मीद है। जीवाईआईएएल के अनुसार, एयरलाइनों ने शीतकालीन शेड्यूल 2025 की तुलना में ग्रीष्मकालीन शेड्यूल 2026 के अंतर्गत अपनी क्षमता काफी कम कर दी है और यह कि वर्तमान की भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 01.06.2026 से उड़ानों की संख्या में और कटौती कर दी है। हवाईअड्डा प्रचालक ने बताया है कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण सीओडी से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए एमवाईटीपी में दिए गए यातायात के 2.69 मिलियन के प्रारंभिक अनुमान को अब संशोधित करके 1.89 मिलियन कर दिया गया है। जीवीआईएएल ने यह भी कहा है कि पूर्व में बताए गए तदर्थ टैरिफ आदेश के तहत अनुमोदित टैरिफ और संशोधित यातायात अनुमानों को देखते हुए, अनुमानित वैमानिक राजस्व आवश्यक नकदी निकासी (कर्ज़ चुकाने की ज़िम्मेदारी और प्रचालनात्मक व्यय सहित) को पूरा करने के लिए संभवत: पर्याप्त नहीं होगा। जीवीआईएएल ने यह चिंता जताई है कि इसके परिणामस्वरूप उनके प्रचालनों के शुरुआती चरण में हवाईअड्डों की वित्तीय स्थिरता पर बुरा असर पड़ सकता है।

2.3 प्राधिकरण का कहना है कि उपर्युक्त तदर्थ टैरिफ आदेश सिर्फ़ कुछ समय (अंतरिम अवधि के लिए) लागू होगा, जब तक कि प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ आदेश जारी नहीं हो जाता। प्राधिकरण यह भी मानता है कि आने वाले महीनों में यातायात स्तर और हवाईअड्डों के कामकाज की आर्थिक व्यवहार्यता स्थिर हो जाएगी। तदनुसार हवाईअड्डों की आर्थिक व्यवहार्यता पर संभावित प्रभाव के संबंध में जीवीआईएएल ने जो चिंताएं जताई हैं, वे मुख्य रूप से उस शुरुआती अंतरिम अवधि से जुड़ी हैं, जिसमें तदर्थ टैरिफ आदेश लागू रहेगा।

2.4 प्राधिकरण को इस बात की जानकारी है कि भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा होने के कारण इसे अपने कामकाज के शुरुआती दौर में कुछ खास चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से यातायात में बदलाव, एयरलाइनों की प्रतिक्रिया और कामकाज के स्थिर होने के मामले में। तदर्थ टैरिफ आदेश जारी होने के बाद हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा दी गई जानकारी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 12.06.2026 के तदर्थ टैरिफ आदेश की दोबारा समीक्षा की है। साथ ही यातायात के संशोधित अनुमानों की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल की है और जीवीआईएएल में हवाईअड्डों के समग्र आर्थिक और व्यावहारिक प्रचालनों पर उनके प्रभाव की जांच की है। ऐरा ने यातयात अनुमानों का स्वतंत्र रूप से फिर से आकलन भी किया है और अपने विश्लेषण के आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से 31.03.2027 तक की अवधि के लिए यात्री यातायात अनुमानत: लगभग 2.20 मिलियन होना बताया है, जबकि जीवीआईएएल ने यह अनुमान 1.89 मिलियन बताया था।

2.5 उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा दी गई जानकारी—जिसमें संशोधित यातायात अनुमान और अंतरिम अवधि में हवाईअड्डे की वित्तीय व्यवहार्यता पर उनके संभावित असर शामिल हैं—की विस्तार से जांच करने के बाद, प्राधिकरण यह मानता है कि अंतरिम व्यवस्था के तौर पर वैमानिक प्रभारों में संशोधन करना उचित है। ऐसा करते समय प्राधिकरण ने अपने समक्ष रखे गए संबंधित तथ्यों की अपेक्षित सावधानी और विवेक से जांच की है और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रचालन को सुनिश्चित करने की जरूरत और साथ ही यात्रियों, एयरलाइंनों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करने को भी ध्यान में रखा गया है।

2.6 तदनुसार प्राधिकरण संलग्नक बी (बी 1 और बी 2) के अनुसार नियमित टैरिफ आदेश निर्धारित होने तक तदर्थ आधार पर वैमानिक प्रभार में संशोधन करने का निर्णय लेता है।

3. पृष्ठभूमि :

जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) ने 12 जून, 2020 को आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएडीसीएल) के साथ एक रियायत करार किया। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के विजयनगरम जिले के भोगापुरम मंडल में एक ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डे को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर बनाया और प्रचालित किया जाएगा। यह करार 'नियत तिथि' अर्थात 14 दिसंबर, 2023 से 40 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और रियायत करार की शर्तों के आधार पर इसे आगे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

जीवीआईएएल, जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी है, जो आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर बनाने, प्रचालन और रखरखाव करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) है।

विशाखापट्टनम का मौजूदा हवाईअड्डा एक सिविल एन्क्लेव है, जिसका मालिकाना हक और प्रचालन अभी नौसेना (आईएनएस देगा) के पास है, जबकि यात्री टर्मिनल का प्रचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक बार वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होने के बाद मौजूदा विज़ाग नेवल एयरफ़ील्ड पर वाणिज्यिक प्रचालन बंद कर दिए जाएंगे।

4. जीवीआईएएल द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव की प्रस्तुति:

4.1 जीवीआईएएल ने दिनांक 9 जुलाई 2025 के पत्र के माध्यम से भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया।

4.2 हवाईअड्डा प्रचालक ने अपनी एमवाईटीपी प्रस्तुति में बताया है कि वे 30 जून 2026 तक वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) प्राप्त कर लेंगे और प्रथम नियंत्रण अवधि 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 (5 वर्ष) तक होगी। साथ ही, उन्होंने सीओडी (30 जून 2026) से 31 मार्च 2027 (9 माह की अवधि) तक के समय को 'पूर्व नियंत्रण अवधि' के रूप में मानने का अनुरोध भी किया है।

4.3 इसके बाद हवाईअड्डा प्रचालक ने अपने तदर्थ अनुरोध की प्रस्तुति में बताया है कि उनकी सीओडी 8 जुलाई, 2026 (एमवाईटीपी प्रस्तुति के अनुसार तय सीओडी के एक सप्ताह बाद) होने की आशा है।

4.4 हवाईअड्डा प्रचालक ने मास्टर प्लान, रियायत की अपेक्षाओं, यातायात के अनुमान, पूंजीगत व्यय (यात्री टर्मिनल भवन, रनवे और टैक्सीवे, एप्रन आदि), मूल्यह्रास, विनियामक परिसंपत्ति आधार, प्रतिलाभ की उचित दर, प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, गैर-वैमानिक राजस्व, कराधान और कुल राजस्व अपेक्षा आदि से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया है। हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तावित एमवाईटीपी के विनियामक घटकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i) पूंजीगत परिव्यय योजना: हवाईअड्डा प्रचालक ने भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हवाईटड्डा सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव एक योजनाबद्ध तरीके से दिया है। पहले चरण के दौरान, पूंजीगत व्यय के रूप में 4,918 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है।

ii) डिज़ाइन क्षमता: मास्टर प्लान के अनुसार भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में चरण-वार परिकल्पित क्षमता नीचे दी गई है:

चरण	रियायत करार के अनुसार संयची क्षमता (एमपीपीए)	अनुमानित समय-सीमा
चरण I	6	वित्त वर्ष 27
चरण II	12	जब यातायात चरण-1 के एमपीपीए के 80% (अर्थात 6 मिलियन) तक पहुँच जाएगा, तो विस्तार का काम तुरंत शुरू हो जाएगा।
चरण III	18	जब यातायात चरण-2 के एमपीपीए के 80% (अर्थात 12 मिलियन) तक पहुँच जाएगा, तो विस्तार का काम तुरंत शुरू हो जाएगा।
आगामी चरण	आंकी गई क्षमता के अनुसार	जब यातायात चरण-3 के एमपीपीए (अर्थात 18 लाख) के 80% तक पहुँच जाएगा, तो विस्तार का काम तुरंत शुरू हो जाएगा।

iii) यातायात अनुमान: हवाईअड्डा प्रचालक ने प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातयात का निम्नलिखित अनुमान लगाया है:

(यात्री मिलियन में)

विवरण	वित्त वर्ष 27*	वित्त वर्ष 28	वित्त वर्ष 29	वित्त वर्ष 30	वित्त वर्ष 31	वित्त वर्ष 32	कुल
अंतरदेशीय	3.37	3.89	4.45	4.92	5.46	6.11	**28.20**
अंतर्राष्ट्रीय	0.21	0.24	0.27	0.35	0.46	0.54	**2.07**
कुल	**3.58**	**4.13**	**4.72**	**5.27**	**5.92**	**6.65**	**30.27**

*12 माह का यातायात माना गया है

iv) प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च : हवाईअड्डा प्रचालक ने प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए निम्नलिखित वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्चों का प्रस्ताव दिया है।.

(आंकडे करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 27*	वित्त वर्ष 28	वित्त वर्ष 29	वित्त वर्ष 30	वित्त वर्ष 31	वित्त वर्ष 32	कुल
हवाईअड्डे संबंधी ओपेक्स	307.90	429.87	460.73	495.20	533.29	577.91	**2,804.90**

v) गैर- वैमानिक राजस्व: हवाईअड्डा प्रचालक ने प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व का अनुमान निम्नानुसार लगाया है।:

(आंकडे करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 27*	वित्त वर्ष 28	वित्त वर्ष 29	वित्त वर्ष 30	वित्त वर्ष 31	वित्त वर्ष 32	कुल
कुल गैर- वैमानिक राजस्व	24.90	39.30	46.10	53.60	63.00	74.00	**300.90**

4.5 एमवाईटीपी पर कार्रवाई करने के लिए, प्राधिकरण ने एमवाईटीपी प्रस्तुत कर समीक्षा करने और नियमित बिल्डिंग ब्लॉक्स अर्थात कैपेक्स, ओ एंड एम, मूल्यह्रास, कर, गैर-वैमानिक राजस्व आदि का लागत विश्लेषण और ध्यानपूर्वक जांच करने के लिए एक स्वतंत्र टैरिफ परामर्शदाता को नियुक्त किया था। भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया अभी जारी है और यह अग्रिम चरण में है, जिसके आधार पर एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा और नियत समय-सीमा के अनुसार हितधारक परामर्श की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आदेश

5 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

i) जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीवीआईएएल) को, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख ("सीओडी") से प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ लागू किए जाने तक, संलग्नक **- बी (बी-1 एवं बी-2)** के अनुसार तदर्थ आधार पर वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ लगाने और एकत्र करने की अनुमति दी जाती है।

ii) वायुयान नियम, 1937 के नियम 89 के साथ पठित, ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण एतद्द्वारा **अनुलग्नक-ख (बी1)** में टैरिफ दर कार्ड में दर्शाए अनुसार तदर्थ आधार पर यूडीएफ की दर निर्धारित करता है।

iii) यह आदेश जीवीआईएएल में प्रचालन शुरू करने से पहले सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर प्रभावी किया जाएगा।

iv) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ, यह प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है तथा अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार नहीं लिया जाएगा।

v) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर**,** यदि कोई हों**,** शामिल नहीं हैं।

vi) यह संशोधित आदेश पूर्व के आदेश संख्या 9/2026-27 के स्थान पर है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री के.नारायण राव,
निदेशक,
जीएमआर विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
विशाखापट्टनम – 530003

प्रतिलिपि:

i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110003
ii) नागर विमानन महानिदेशालय - एआईसी जारी करने के लिए।